दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 08 फरवरी, 2023

निम्न मामले में:

ले.पे.अ. 69/2023 व सि.वि. आवेदन 4438/2023

बनवारी लाल मीणा .....अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री किरण सिंह, श्री अजय शर्मा, अधिवक्तागण।

बनाम

लोक सभा सचिवालय ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री प्रमोद गुप्ता, सुश्री परिधि सिंह, अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री न्यायमूर्ति सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

1. अपीलार्थी ने विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या.(सि) 16875/2022 में विलंब और ढिलाई के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने के दिनांक 12.12.2022 के निर्णय को चुनौती देते हुए वर्तमान ले.पे.आ. दायर किया है।

2. अपीलार्थी ने एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाने हेतु, जिसमें प्रत्यर्थी को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के तहत लोकसभा सचिवालय में हाउस कीपर ग्रेड-III के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया हो, एक रिट याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 2017 में विज्ञापन संख्या 5/2017 के माध्यम से हाउसकीपर ग्रेड-III के 27 पदों को विज्ञापित करते समय अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दो पद आरक्षित किए

थे।

4. यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में उक्त पद के लिए आवेदन किया और सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए। 17.05.2018 को परिणाम घोषित किए गए थे और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में केवल एक उम्मीदवार का चयन किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, उसे अनुसूचित जनजाति श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया था और वह प्रत्यर्थी से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की उम्मीद कर रहा था, हालांकि उसे नियुक्ति का कोई पत्र नहीं मिला।

5. यह कहा गया है कि अपीलार्थी का नाम नियुक्ति सूची में नहीं था और अपीलार्थी ने 07.08.2019 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उसने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने कहा कि उसने 15.03.2021 को लोकसभा के महासचिव और लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

6. यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने 16.09.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी में एक न भरी गई रिक्ति के बारे में जानकारी मांगी थी। 12.10.2021 को अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से जवाब मिला कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में एक न भरी गई रिक्ति को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा भरे जाने के लिए रखा गया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने दिसंबर, 2022 में रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

7. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि अपीलार्थी द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वह इस न्यायालय के सम्मुख परिणामों की घोषणा के वस्तुतः चार वर्षों बाद क्यों आया है।

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी चयन पैनल की समाप्ति के बाद नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यह अधिकथित किया है कि एक उचित समय क्या है, जिसके भीतर किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए, विशेष रूप से सेवा मामलों में, इसे एक सीमित सूत्र में नहीं रखा जा सकता है और न तो एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने का मामला और न ही उस पर विचार करने के लिए दिन निर्धारित किए जा सकते हैं।

9. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक व अन्य बनाम एम. जे. जेम्स, **2022 (2) एस.सी.सी. 301** मामले में अनेक निर्णयों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :

> *"36. एक उचित समय क्या है, इसे किसी सीमित सूत्र में नहीं डाला जाना चाहिए या दिनों, आदि के रूप में न्यायिक रूप से संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।* ***लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया अधिकार अस्तित्वहीन होता है। विलंब व ढिलाई के साथ-साथ सहमति के सिद्धांत उन वादियों के वाद को रोकने पर लागू किए जाते हैं जो अनुचित विलंब के बाद कार्रवाई करने के लिए बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के विलंब से न्यायालय/अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होते हैं। वर्तमान मामले में, अपील के माध्यम से सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती चार साल और पांच***

महीने के बाद दी गई, जो निश्चित रूप से अत्यधिक विलंब के बाद है और तर्कसंगत समय से परे है। देरी को उचित ठहराने वाले संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना, यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल है कि अपील एक उचित समय के भीतर की गई थी। *प्रासंगिक रूप से, चुनौती मुख्यतः इस आधार पर थी कि प्रत्यर्थी को अपनी पसंद के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रत्यर्थी जानता था कि यदि वह इस आधार पर सफल होता है, जैसा कि रिट कार्यवाहियों में हुआ है, तो भी नई जांच प्रतिषिद्ध नहीं की जाएगी क्योंकि अंतिमता तब तक संलग्न नहीं की जाती है जब तक कि कोई कानूनी या वैधानिक वर्जन न हो, यह एक ऐसा पहलू है जो आक्षेपित निर्णय में भी देखा गया है। यह विलंबित चुनौती द्वारा अपीलार्थीगण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दिखाने के लिए उजागर किया गया है। बाद में, हम वर्तमान मामले के संदर्भ में सहमति के प्रश्न और उसके न्यायिक प्रभाव की जांच करेंगे।"*

(जोर दिया गया)

10. यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी को पता था कि परिणाम 17.05.2018 को घोषित कर दिए गए हैं। इसके तुरंत बाद, अपीलार्थी को यह भी पता था कि वह चयनित सूची में नहीं है। यह कहने के अलावा कि वह कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आया और यह कि वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष अगस्त, 2019 में और

लोकसभा सचिवालय के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा था, ऐसा कोई कारण सामने नहीं आ रहा है, जिसने अपीलार्थी को उचित समय के भीतर इस न्यायालय के समक्ष आने से रोका। केवल आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगना या अभ्यावेदन दाखिल करना न्यायालय में पहुंचने में चार वर्ष से अधिक की देरी का संतोषजनक जवाब नहीं हो सकता है।

11. यह तय है कि कानून सतर्क लोगों के बचाव के लिए आता है, आलसी लोगों के लिए नहीं। रिट याचिका में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी कोविड-19 वायरस से संक्रमित था या यह कि कोविड-19 महामारी ने उसे इस हद तक प्रभावित किया था कि वह न्यायालय के समक्ष नहीं आ सका था। केवल यह कहना कि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप व्याप्त परिस्थितियों के कारण उसने अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, इस न्यायालय को चार साल की अवधि के बाद याचिका पर विचार करने के लिए प्रभावित नहीं करता है।

12. किसी भी स्थिति में, किसी भी चयन पैनल की वैधता के लिए निर्धारित अवधि, चयन प्रक्रिया को अंतिमता प्रदान करने के लिए है और कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के बाद काफी समय बीत जाने पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष में कोई दुर्बलता नहीं है कि एक व्यक्ति को उस चयन प्रक्रिया को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि व्यक्ति के न्यायालय के समक्ष आने से चार वर्ष पहले समाप्त हो गई थी।

13. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हो, के साथ ले.पे.या. को खारिज किया जाता है।

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

सुभ्रमोणयम प्रसाद, न्या.

08 फरवरी, 2023
एचएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
"Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and. may not be used for any other purpose. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation."